ORDER SHEET

दा.प्र.क्र. 1408/2019
फाईलिंग नंबर 1420/2019

THE COURT - **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटघोरा जिला– कोरबा (छ.ग.)**

शासन विरूद्ध सुभील कुमार डिक्सेना

Date of order or proceeding	Order of Proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10-06-2019	आरक्षी केन्द्र कटघोरा के आरक्षक क्रं0 572 विजय बंजारे ने आरोपी सुभील कुमार डिक्सेना के विरूद्ध धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के तहत का यह अभियोग पत्र /इस्तगासा प्रस्तुत किया है। प्रकरण दांडिक पंजी में दर्ज हो जब्तशुदा संपत्ति सुरक्षार्थ नजारत जमा हो/पेश नहीं। अभियुक्त व ए.डी.पी.ओ. को चालान की नकल दी जाकर पावती ली जाये। प्रकरण का प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न की जाये। प्रकरण में आरोपी ने आरोपित अपराध का विचारण धारा 260 द.प्र.सं. के तहत किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त विचारण योग्य होना प्रतीत होने के कारण प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं दस्तावेजो के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की विशिष्टियां संक्षिप्त विचारण पत्रक में आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध स्वेच्छया पूर्वक स्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् उसके बताये अनुसार लेख किया गया। आरोपी द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति एवं अन्य अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर आरोपी को धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 1000/– रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड की राशि के व्यतिक्रम में आरोपी को 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जावे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को उसके स्वामी/कब्जेदार को वापस प्रदान किया जाये। प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार जमा हो। – सही – संतोष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा जिला– कोरबा पुनश्चः– आदेशानुसार आरोपी की ओर से अर्थदंड की राशि 1000/– रूपये अदा किया गया उसे रसीद क्र. 69574/22 काटकर दिया गया। – सही – संतोष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा जिला– कोरबा	